अध्याय - 13

निर्वाचन

हम पढ़ेंगे

13.1 निर्वाचन से आशय एवं आवश्यकता।
13.2 मताधिकार एवं मताधिकार प्राप्त करने की शर्तें।
13.3 राजनीतिक दलीय व्यवस्था, विशेषताएँ, कार्य व उसके प्रकार।
13.4 भारत के राजनैतिक दल, महत्व व विपक्ष की भूमिका।
13.5 भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया।
13.6 निर्वाचन आयोग व उसके कार्य।

13.1 निर्वाचन से आशय एवं आवश्यकता

हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है। इस शासन प्रणाली में देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों से सरकार बनाई जाती है। निर्वाचन के द्वारा नागरिकों की शासन में भागीदारी होती है। नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया **निर्वाचन** कहलाती है। निर्वाचन के द्वारा एक निश्चित समय के लिये प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। हमारे देश के नागरिक निर्वाचन में भाग लेकर अपने राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करते हैं। भारत एक विशाल और बहुभाषी देश है। हमारे यहाँ सभी नागरिकों को समान रूप से चुनाव में भाग लेने तथा अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। मताधिकार की यह प्रणाली सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्रणाली कहलाती है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त वे सभी नागरिक जिनके नाम निर्वाचन नामावली में होते हैं, मत देने का अधिकार रखते हैं।

भारत में मतदान की गोपनीय प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिये निर्वाचन आयोग बनाया गया है।

लोकतांत्रिक देशों में जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिये प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया को निर्वाचन कहते हैं।

13.2 मताधिकार

भारतीय संविधान की उद्देश्यिका से यह ज्ञात होता है कि जनता में सम्प्रभुता का समावेश है। जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी सम्प्रभुता का प्रयोग करती है। सरकार की सभी शक्तियों का स्त्रोत जनता होती है। नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार रखते हैं। शासन का प्रबन्ध जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार **मताधिकार** कहलाता है। यह अधिकार महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार है। आज लोकतंत्र का युग है, जिन देशों में लोकतंत्र पर आधारित शासन नहीं है वहां की जनता भी इसे चाहती है। हमारे देश में सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार प्राप्त है। मताधिकार की यह प्रणाली **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली** कहलाती है।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

देश के प्रत्येक वयस्क महिला तथा पुरुष को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। इस प्रणाली में एक निर्धारित उम्र पार करने के उपरांत देश के सभी पात्र नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

हमारे देश में वे सभी स्त्री-पुरुष जिनकी उम्र 18 वर्ष है वोट डालने के अधिकारी है। लेकिन यह ध्यान

में रखने कि बात है कि वोट डालने का अधिकार केवल अधिकार नहीं बल्कि एक कर्तव्य भी है। मानसिक रूप से विकलांग या पागल या ऐसे व्यक्ति जो न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित हैं अथवा ऐसे व्यक्ति जो भारत देश के नागरिक नहीं हैं, मत देने के अधिकारी नहीं होते।

हमारे संविधान निर्माण के समय दुनिया के कुछ देशों में वहां के नागरिकों को सीमित मताधिकार था। परन्तु हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी वयस्क नागरिकों को बिना भेदभाव के मताधिकार प्रदान करने का निश्चय किया था। 17 नवम्बर 1949 को संविधान सभा में कहा गया कि :

''बिना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है।''

हमारे संविधान की अनुपम देन मताधिकार है। इस व्यवस्था के अनेक लाभ हैं। इसकी विशेषतायें निम्नलिखित हैं –

1. प्रत्येक व्यक्ति के मत को समान महत्व मिलता है।
2. यह व्यवस्था समानता के सिद्धान्त के अनुकूल है।
3. सभी नागरिक शासन में भागीदारी करते हैं।
4. शासन के लोगों का शांतिपूर्वक परिवर्तन सम्भव हैं।
5. नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है।
6. नागरिकों में आत्म सम्मान की भावना पैदा होती है।

लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए यह एक गंभीर प्रश्न है कि मताधिकार का आधार क्या हो? क्या यह अधिकार राज्य के सभी नागरिकों को दिया जाए अथवा कुछ चुने हुए व्यक्तियों को? इस संदर्भ में मताधिकार के निम्न सिद्धान्त है–

(1) जनजातीय सिद्धांत
(2) सामन्ती सिद्धांत
(3) प्राकृतिक सिद्धांत
(4) वैधानिक सिद्धांत
(5) नैतिक सिद्धांत
(6) सर्वव्यापी वयस्क मताधिकार का सिद्धांत
(7) बहुल मताधिकार का सिद्धांत
(8) भारीकृत मताधिकार का सिद्धांत

जनजातीय सिद्धांत : इसके अनुसार राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि यह कोई विशेष अधिकार या सुविधा नही है वरन् यह प्रत्येक नागरिक के जीवन को प्रभावित करने वाला स्वाभाविक एवं सक्रिय हिस्सा है। यह विचार प्राचीन यूनान रोम तथा कतिपय अन्य छोटे राष्ट्रों की सभाओं में प्रचलित था, जहाँ हाथ उठाकर मतदान किया जाता था। आधुनिक युग में मताधिकार के लिए नागरिकता की अनिवार्यता संभवत: इसी का प्रतिरूप है।

सामन्ती सिद्धांत : इस सिद्धांत के अनुसार केवल उन्हीं लोगों को मताधिकार रहता है, जिनके पास सम्पत्ति हो। यह विचार मध्ययुग में विशेषरूप से प्रचलित था जब मताधिकार को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। आधुनिक युग में अनेक राष्ट्रों में मताधिकार के लिए सम्पत्ति की अनिवार्यता इसी विचार पर आधारित है।

प्राकृतिक सिद्धांत : इस सिद्धांत के अनुसार सरकार मनुष्य निर्मित संयत्र है। इसका आधार जनता की सहमति है। अतएव शासक को चुनने का अधिकार जनता का प्राकृतिक अधिकार है। 17 वीं तथा 18 वीं शताब्दी में यह विचार विशेष लोकप्रिय हुआ।

वैधानिक सिद्धांत : इस सिद्धांत के अनुसार मताधिकार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं वरन् राजनीतिक अधिकार है। यह निर्धारण करना राज्य का कार्य है कि किसे मताधिकार मिलना चाहिए। प्रत्येक सरकार अपनी परिस्थितियों और सामाजिक स्थिति के आधार पर इसका निर्धारण करती है।

नैतिक सिद्धांत : इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसे मताधिकार के माध्यम से यह निश्चित करने का अधिकार हो कि उनका शासन कौन करें। मताधिकार व्यक्ति

में राजनीतिक संवेदनशीलता को जन्म देता है तथा उसे सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रति चैतन्य बनाता है।

सर्वव्यापी वयस्क मताधिकार का सिद्धांत : यह सिद्धांत लोकतांत्रिक राज्यों में सर्वाधिक प्रचलित सिद्धांत है। इसके अनुसार राज्य के प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार होता है। 17 वीं तथा 18 वीं शताब्दी में प्राकृतिक अधिकारों और जनसंप्रभुता के वातावरण में सर्वव्यापक मताधिकार की माँग ने जोर पकड़ा। इसमें वयस्कता का अधिकार सम्मिलित किया गया। वयस्कता की आयु अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और भारत में 18 वर्ष है। आस्ट्रेलिया में तो सरकार मताधिकार के प्रयोग को अनिवार्य घोषित कर सकती है और समुचित कारणों के अभाव में मताधिकार का प्रयोग न करने वाले को दण्डित भी कर सकती है। अधिकतर राज्यों में वयस्क मताधिकार प्रणाली से मतदान होता है अत: इस प्रणाली के गुण, दोषों को जानना भी आवश्यक है।

गुण :

- चूंकि लोकतंत्र का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति की शासन में सहभागिता है, तो यह वांछनीय है कि मताधिकार सर्वव्यापक हो। जन-जन की शासन में सहभागिता ही लोकतंत्र की प्राणशक्ति है।
- जिसका सम्बन्ध सब से हो, ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाने में सबका हाथ होना चाहिए।
- मताधिकार समानता के सिद्धांत के अनुरूप है जो लोकतंत्र का मूलरूप है।
- जब तक मताधिकार सर्वव्यापी नहीं होगा तब तक यह आशा नही की जा सकती कि शासन का उद्देश्य सार्वजनिक हितों की प्राप्ति है।

दोष :

- मैकाले, हेनरीसेन जैसे विचारकों का मत है कि इसमें अशिक्षित और नासमझ व्यक्तियों को भी मताधिकार प्राप्त हो जाता है।
- यह कहा जाता है कि जनता के बड़े भाग को मताधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है।

बहुल मताधिकार का सिद्धांत : आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में 'एक व्यक्ति एक मत' का सिद्धांत सर्व-स्वीकृत है परन्तु विगत वर्षो में बहुल मताधिकार की व्यवस्था भी अनेक राज्यों में प्रचलित रही है। मताधिकार के इस सिद्धांत की मूल अवधारणा में यह आग्रह है कि व्यक्तियों के मतों की संख्या कुछ आधारों पर कम या अधिक होनी चाहिए।

भारीकृत मताधिकार का सिद्धांत : इसमें मतों को गिना नहीं जाता है वरन् उनका भार दिया जाता है। भार का अर्थ यहाँ महत्व से है अर्थात सरकार के चयन में किसी भी प्रकार की विशिष्टता जैसे शिक्षा, धन या सम्पत्ति से विभूषित व्यक्ति के मत का भार एक आम आदमी से अधिक होना चाहिए।

13.3 राजनीतिक दलीय व्यवस्था

संसदीय लोकतंत्र के लिए विभिन्न राजनीतिक दल आवश्यक हैं। राजनीतिक दल नागरिकों के संगठित समूह हैं, जो एक सी विचारधारा रखते हैं। ये अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के लिये प्रतिबद्ध होते हैं। राजनीतिक दल एक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं और सदैव शक्ति प्राप्त करने और उसे बनाये रखने का प्रयास करते रहते हैं। राजनीतिक दलों में कुछ सामान्य विशेषतायें होती हैं।

राजनीतिक दलों के कार्य

राजनीतिक दल अनेक कार्य करते हैं। इनके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं -

राजनीतिक दलों की विशेषताएँ

- स्पष्ट पहचान रखना।
- नीतिगत विषयों में स्पष्ट राय होना।
- विचारों के सर्मथन में निरंतर जनमत बनाना।
- एक विधान द्वारा संगठित और संचालित होना।
- निर्वाचन आयोग में पंजीकृत होना।
- प्रमुख उद्देश्य निर्वाचन में विजय प्राप्त कर सत्ता प्राप्त करना।
- शासन दल पर निगाह रखते हुए जनविरोधी नीतियों के विरूद्ध जनमत बनाना।
- पहचान हेतु एक चुनाव चिन्ह होना।

1. ये सरकार और जनता के मध्य सेतु का कार्य करते हैं।
2. ये राष्ट्र हित के अनुकूल जनमत बनाते हैं।
3. निर्वाचन के समय प्रत्याशियों का चयन करते हैं।
4. शासक दल की निरंकुशता पर रोक लगाने का प्रयास करते हैं।
5. निर्वाचन में विजय प्राप्त करना और सरकार बनाना इनका प्रमुख कार्य है।
6. मतदाता सूची बनवाने में यह सहयोग करते हैं।
7. जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं।
8. ये सामाजिक और आर्थिक कार्य भी करते हैं।

दलीय व्यवस्था के प्रकार

किसी देश में राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर दल व्यवस्था को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है।

अ. एकल दल (एक दलीय) प्रणाली – यदि किसी देश में एक ही राजनीतिक दल होता है तो वह एकल दल प्रणाली कहलाती हैं, एक दल वाले देशों के संविधान में प्राय: उस राजनीतिक दल का उल्लेख होता है। जैसे – जनवादी चीन में एकदलीय प्रणाली है, वहां केवल साम्यवादी दल को ही मान्यता है अन्य राजनैतिक विचार रखने वाले पर पाबंदी है।

ब. द्वि दलीय प्रणाली – किसी देश में दो प्रधान दल होते हैं और सत्ता इन्ही दो दलों के बीच आती जाती रहती है। यह प्रणाली द्विदलीय प्रणाली कहलाती है जैसे– अमेरिका में डेमोक्रेटिक दल और रिपब्लिकन दल प्रमुख है ब्रिटेन में अनुदारवादी व श्रमिक दल प्रमुख हैं। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में द्विदलीय प्रणाली प्रचलित है।

स. बहु दलीय प्रणाली – जब देश में अनेक राजनीतिक दल होते हैं तब उस प्रणाली को बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है। भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं। हमारे देश में बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है। निर्वाचन में किसी एक दल का बहुमत आना आवश्यक नहीं है।

साझा सरकार

किसी एक दल का बहुमत न आने पर जब कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं तब वह सरकार साझा सरकार कहलाती है। इसे गठबन्धन सरकार भी कहते हैं।

जब किसी एक दल का बहुमत नहीं आता है तो देश या प्रान्त में साझा सरकार बनाई जाती है। साझा अथवा गठबन्धन सरकार में 2 या अधिक दल शामिल होते हैं।

बहुदलीय प्रणाली में दल-बदल एक प्रमुख बुराई है। चुनावों के समय अनेक प्रकार की कठिनाईयाँ आती हैं। इस प्रणाली में राजनीतिक दलों की नीतियों में स्पष्ट अंतर करना कठिन हो जाता है। बहुदलीय प्रणाली में व्यक्तिनिष्ठ दलों की संख्या बढ़ जाती है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से राजनीतिक दल टूटने लगते हैं और नये दल बनने लगते हैं।

13.4 भारत में राजनीतिक दल, महत्व व विपक्ष की भूमिका

भारत में कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों का जन्म आजादी से पहले हो गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में निर्वाचन आयोग बनाया गया है। यह भारत में राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है तथा मान्यता देता है। भारत के राजनीतिक दल तीन प्रकार के हैं।

1. राष्ट्रीय राजनीतिक दल

वर्ष 2004 में हुये लोकसभा निर्वाचन के समय 6 राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त थे। यह दल इस प्रकार हैं- 1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2. भारतीय जनता पार्टी 3. बहुजन समाज पार्टी 4. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इन्डिया 5. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इन्डिया (मार्क्सवादी) 6. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इस प्रकार के राजनीतिक दलों का चुनाव चिह्न सारे देश में एक ही होता है। किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल होने का अर्थ यह नहीं है कि वह सारे देश में समान रूप से लोकप्रिय है। राष्ट्रीय दलों का प्रभाव भी अलग-अलग प्रांतों में भिन्न-भिन्न हो सकता है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त होने के लिये निम्न शर्त में से कोई एक का होना आवश्यक है-

जो दल एक या एक से अधिक राज्यों में लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में डाले गये मतों का कम से कम 6 प्रतिशत मत प्राप्त करे अथवा यदि कोई दल लोक सभा के सदस्यों का कम से कम 2 प्रतिशत स्थान प्राप्त करें और यह स्थान न्यूनतम तीन राज्यों में होना चाहिये।

2. राज्य स्तरीय राजनीतिक दल

विगत लोक सभा निर्वाचन में राज्य स्तरीय 36 राजनैतिक दल थे। इस प्रकार के दलों को एक या अधिक राज्यों के लिये मान्यता होती हैं। इन राज्यों में इनका चुनाव चिह्न आरक्षित होता है। उदाहरण के लिये पंजाब में अकाली दल, आन्ध्रप्रदेश में तेलगू देशम पार्टी राज्य स्तरीय राजनीतिक दल हैं। यदि कोई दल लोकसभा या संबंधित राज्य विधान सभा चुनावों में 6 प्रतिशत वोट प्राप्त कर लेता है अथवा विधान सभा में 3 स्थान प्राप्त कर लेता है, तब वह दल राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त कर लेता है, राज्य स्तरीय दल क्षेत्रीय दल के नाम से विख्यात हैं।

3. पंजीकृत राजनीतिक दल

निर्वाचन आयोग में 750 से अधिक पंजीकृत दल हैं। उदाहरण के लिये गौंडवाना गणतन्त्र पार्टी, भारतीय जनशक्ति पार्टी पंजीकृत राजनीतिक दल हैं। पंजीकृत दलों को निर्वाचन के समय रेडियो और दूरदर्शन पर समय नहीं मिलता है। पूरे प्रदेश के लिये उनका चुनाव चिह्न आरक्षित नहीं होता है। इनका प्रभाव एक सीमित क्षेत्र में होता है कई पंजीकृत दल उनकी आवश्यकतानुसार एक दूसरे में विलय कर लेते हैं या मतभेद होने पर अपना अलग दल भी बना लेते हैं। इस प्रकार के दल प्राय: दल के अध्यक्ष की इच्छा और प्रभाव का परिणाम होते हैं।

दलीय व्यवस्था का महत्व

दलीय व्यवस्था प्रजातान्त्रिक शासन को सम्भव बनाती है। आधुनिक युग में शासन कार्य राजनीतिक दलों के सहयोग से होता है। यह शासन को नीति बनाने में सहयोग करते हैं साथ ही इनके सहयोग से नीतियों में बदलाव आसान होता है। दल व्यवस्था के प्रभाव से सरकार जनोन्मुखी होती है व लोकहित के कार्य करती है। राजनैतिक दल शासन की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। इनसे जनता की आशायें और अपेक्षायें सरकार तक पहुंचती हैं। यह जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं। इनके माध्यम से सभी को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है। राजनीतिक दल नागरिक स्वतंत्रताओं के रक्षक होते हैं। इनके द्वारा राष्ट्र की एकता स्थापित होती है।

राजनीतिक दलों का महत्व

लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व को निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है-

(1) प्रजातंत्र में लोकमत का निर्माण तथा उसकी अभिव्यक्ति राजनीतिक दलों द्वारा ही संभव है। लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए राजनीतिक दल जुलूस एवं अधिवेशन आदि आयोजित करते हैं।

(2) वर्तमान में विश्व के सभी देशों में वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। राजनीतिक दल अपने दल की

ओर से उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करते हैं तथा उनके पक्ष में प्रचार करते हैं। आज के विशाल लोकतांत्रिक राज्यों में चुनावों का संचालन करने के लिए राजनीतिक दलों का होना अति आवश्यक है।

(3) लोकतांत्रिक शासन में जनता के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलों द्वारा ही प्रदान किया जाता है।

(4) संसदीय तथा अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में निर्वाचन के बाद सरकार का गठन राजनीतिक दलों द्वारा ही किया जा सकता है।

(5) लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रभावशाली विरोधी दल का होना भी अति आवश्यक है। लोकतंत्र में अल्पमत या विपक्षी दल का भी बहुमत प्राप्त दल के समान ही महत्व होता है।

विपक्ष की भूमिका

आम चुनाव के पश्चात् राजनीतिक दलों में से बहुमत प्राप्त दल या दलों का गठबंधन सरकार का निर्माण करता हैं अथवा सत्तारूढ़ होता हैं बहुमत प्राप्त न करने वाला/वाले दल **विपक्षी दल** कहलाते हैं। बहुमत प्राप्त दल से सरकार का गठन होता है। विपक्षी दल सरकार के कार्यों पर निगाह रखते हैं। संसदीय लोकतंत्र में शासक दल के कार्यों पर जनता सीधे नियन्त्रण नहीं करती है। विपक्षी दल ही इस उद्देश्य को पूरा करते हैं। संसदीय लोकतंत्र पर आधारित हमारे देश में सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल दोनों का महत्व है।

संसद और विधान मण्डलों में विपक्षी दल की सक्रियता से सरकार सजग होकर लोककल्याणकारी कार्य सजगता से करने को बाध्य रहती है। विपक्षी दल संसद और विधान सभाओं में सरकार की आलोचना भी करते हैं और नवीन नीतियों तथा कार्यों के सुझाव भी देते हैं।

विपक्ष की उपस्थिति से सरकार जनता के प्रति अधिक सजगता से अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। विधायिका में कोई भी कानून पारित होने से पूर्व उस पर विचार विमर्श और चर्चा होती है। विपक्ष के सहयोग से कानून के दोषों को दूर किया जा सकता है। विधान मण्डल और संसद की बैठकों के समय विपक्ष की भूमिका और बढ़ जाती है। विपक्ष सदन में प्रश्न पूछकर या स्थगन प्रस्ताव लाकर सरकार पर दबाव बनाता है। इस प्रकार विपक्ष जनता के सामने अपनी योग्यता को स्थापित करता है, विपक्ष सरकार की त्रुटियों को जनता के सामने लाता है, सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचना करके सरकार को भूल सुधार के लिये बाध्य किया जाता है। विपक्ष द्वारा अपने दायित्व का पालन करने से सरकार प्रभावित होती है।

13.5 भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया

निर्वाचन एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह एक निर्धारित विधि से होता है। आप भारत के भावी नागरिक हैं आपके लिये इसे जानना आवश्यक है। देश में होने वाले सामान्य निर्वाचन, मध्यावधि निर्वाचन या उप चुनाव या निर्वाचन, सभी में समान प्रक्रिया होती है। इस पूरी प्रक्रिया को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है –

1. **मतदाता सूची तैयार करना** – निर्वाचन का यह पहला चरण है जो सबसे महत्वपूर्ण है। जिला निर्वाचन कार्यालय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व मतदाता सूची को तैयार करता है। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष है इसमें अपना नाम सम्मिलित करवा सकता है। मतदाता पहचान पत्र भी जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा बनवाये जाते हैं। मतदाता पहचान पत्र के अभाव में नागरिक को अपनी पहचान के लिए अन्य कागजात लाना होते हैं।

2. **चुनाव की घोषणा** – प्रत्येक निर्वाचन प्रक्रिया का प्रारम्भ अधिसूचना जारी होने से होता है। लोकसभा के सामान्य, अथवा मध्यावधि अथवा उपचुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। विधान सभाओं के लिये अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। अधिसूचना का प्रकाशन चुनाव आयोग से विचार-विमर्श के बाद राजपत्र में किया जाता है।

अधिसूचना जारी होने के उपरांन्त निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाता है। इसके साथ

ही राजनीतिक दलों के लिये आचार संहिता लागू हो जाती है।

3. निर्वाचन हेतु नामांकन - विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपने प्रत्याशियों को चुनाव में भाग लेने के लिये नाम तय करते हैं। जो व्यक्ति चुनाव में भाग लेना चाहते हैं वह निर्वाचन अधिकारी के सामने अपना नामांकन पत्र भर कर जमा करते हैं। निर्धारित तिथि में नामांकन पत्रों की जांच कर सूची घोषित की जाती है। निर्धारित अवधि में कोई भी प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकता है। नाम वापसी का समय समाप्त होने के उपरान्त प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाती है।

4. चुनाव चिह्न - प्रत्येक मान्यता प्राप्त दल का चुनाव चिह्न सुनिश्चित होता है। दल के प्रत्याशी को उनके दल का चुनाव चिह्न दिया जाता है। निर्वाचन के समय मतपत्र पर प्रत्याशी के नाम के आगे उसका चुनाव चिह्न छपा होता है। भारत में एक बड़ी संख्या में मतदाता साक्षर नहीं है। अत: चुनाव चिह्न प्रत्याशी की पहचान कराने में सहायक होते हैं।

सामान्य निर्वाचन

अपने निर्धारित समय पर होने वाला निर्वाचन सामान्य निर्वाचन है।

मध्यावधि निर्वाचन

यदि लोक सभा अथवा राज्य विधान सभा को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कर दिया जाता है तो होने वाले चुनाव मध्यावधि चुनाव कहलाते हैं।

उप चुनाव

किसी क्षेत्र के प्रत्याशी की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से रिक्त स्थान पर होने वाला चुनाव उप चुनाव कहलाता है।

5. चुनाव अभियान - चुनाव अभियान मतदान प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है। चुनाव अभियान के द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार अपने दल का कार्यक्रम या आगामी पाँच वर्षों में किये जाने वाले कार्यों के संबंध में घोषणा-पत्र जनता के सामने रखकर अपने-अपने तरीके से मतदाता को अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है। राजनीतिक दल चुनाव घोषणा-पत्र जारी करते हैं, जिसमें उस राजनैतिक दल की नीतियाँ और कार्यक्रम होते हैं सभाएँ की जाती हैं, रैलियां निकाली जाती हैं। समाचार पत्र, पोस्टर, बैनर, पम्पलेट आदि का प्रयोग प्रचार कार्य में किया जाता है। अब रेडियों और दूरदर्शन पर भी राजनीतिक दलों को समय दिया जाता है। मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है।

6. मतदान - प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र कई मतदान केन्द्रों में विभाजित होता है। प्रत्येक मतदाता के लिये मतदान केन्द्र निर्धारित होता है जहां जाकर वह मतदान के दिन अपना मत (वोट) देता है।

मतदाता की पहचान के लिये उसे फोटोयुक्त पहचान-पत्र दिया जाता है। यह पहचान पत्र मतदाता का फोटो पहचान पत्र कहलाता है। जिन मतदाताओं के पास फोटो पहचान पत्र नहीं होते वे अपना राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स अथवा पहचान से संबंधित अन्य दस्तावेज आदि के द्वारा अपनी पहचान स्थापित कर सकते हैं।

मतदान केन्द्र पर मतदान कराने के लिये एक पीठासीन अधिकारी (प्रिसाइडिंग ऑफीसर) व आवश्यकतानुसार मतदान अधिकारी (पोलिंग ऑफीसर) होते हैं। मतदान के दिन मतदाता अपने मतदान केन्द्र पर आते हैं और लाइन में क्रम से खड़े हो जाते हैं। मत देने से पहले मतदाता की पहचान की जाती है कि वह सही मतदाता है। इसके बाद मत देने आये मतदाता से मतदाता सूची पर उसके हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी लगवाई जाती है (मशीन से मतदान के समय) मतपत्र के द्वारा मतदान के समय मतपत्र के प्रतिपर्ण (काउन्टर फाइल) पर मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी लगवायी जाती है।

अमिट स्याही लगवाने के उपरांन्त वह वोट दे सकता है। वोट दो प्रकार से दिया जाता है। 1. इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से 2. मतपत्र प्रणाली से।

मत की गोपनीयता रखने के लिये प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 2 या अधिक मतदान कक्ष (पोलिंग बूथ) होते हैं। जहां इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन अथवा मतपेटी होती है। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में जिस प्रत्याशी को मत

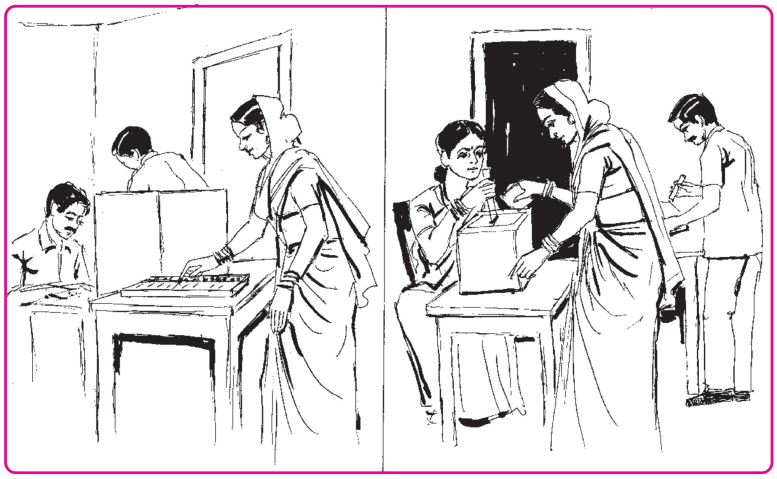

देना होता है उस प्रत्याशी के नाम के सामने चुनाव चिह्न छपा होता है इसके सामने वाले बटन को दबाकर मत (वोट) दिया जाता है।

मतपत्र द्वारा मतदान प्रणाली में, निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त मतपत्र मतदाता को दिया जाता है। मतदाता मतपत्र के साथ मतदान कक्ष में जाता है और इच्छित प्रत्याशी के चुनाव चिह्न पर सील (मोहर) लगाकर मत देता है। मतपत्र को मोड़कर मतपेटी में डाला जाता है। मतदान का समय समाप्त होने पर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन बन्द की जाती है और सील की जाती है। मतपेटियों का प्रयोग होने पर मतपेटी को पहले बन्द किया जाता है और फिर मतदान सामग्री के साथ प्राप्त विशिष्ट कागज की सील से मतपेटी को सील कर दिया जाता है।

7. मतगणना – निर्धारित तिथि पर सभी मतपेटियों/वोटिंग मशीन को एकत्र किया जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में मतों को गिना जाता है। अधिकतम मत प्राप्त प्रत्याशी को विजयी घोषित किया जाता है। निर्वाचित व्यक्ति अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है। निर्वाचन परिणाम घोषित होने के उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचित प्रत्याशी को विजयी होने का प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

निर्वाचन आयोग का उद्देश्य देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। निर्वाचन के दिन सार्वजनिक अवकाश दिया जाता है ताकि सभी नागरिकों को अपना मत (वोट) देने का अवसर प्राप्त हो सके। निर्वाचन के दिन उस चुनाव क्षेत्र की मदिरा /शराब की दुकानें बंद रखी जाती हैं ताकि कोई उम्मीदवार मतदाताओं को प्रलोभन न दे सके। मतदाताओं को कोई डरा धमका न सके इसलिये व्यापक सुरक्षा प्रबन्ध किये जाते हैं।

भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष

लोकतंत्र का भविष्य चुनावों की निष्पक्षता और बिना किसी प्रलोभन और दबाव के मतदान की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। भारतीय निर्वाचन को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कराने के लिए निर्वाचन आयोग पूरा प्रयास करता है, फिर भी कई समस्याएँ विद्यमान है। हमारी चुनाव प्रणाली के मुख्य दोष निम्न लिखित है-

1. मतदान में पूर्ण भागीदारी का अभाव – सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रणाली का उद्देश्य सभी नागरिकों को शासन में अप्रत्यक्ष भागीदार बनाना है। हम यह देखते हैं कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभा चुनावों में एक बड़ी संख्या में मतदाता अपना वोट देने नहीं जाते हैं। इस कारण मतदाताओं के बहुमत से निर्वाचित उम्मीदवार जनता का प्रतिनिधि नहीं होता है। अत: यह वांछनीय है कि, सभी नागरिकों को मतदान में भाग लेना चाहिये।

2. चुनाव में धन का प्रयोग – निर्वाचनों में बढ़ता खर्च एक बड़ी समस्या है। प्रत्येक चुनाव में खर्च की सीमा निर्धारित है, परन्तु चुनाव में भाग लेने वाले अनेक प्रत्याशी बहुत अधिक धन खर्च करते हैं। धन व बल के अभाव में कई बार कुछ अच्छे और ईमानदार व्यक्ति चुनाव लड़ने में असमर्थ होते हैं। चुनाव में धन प्रयोग व्यक्ति की अनैतिक भूमिका का द्योतक है, जो चुनाव व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से गंम्भीर समस्या है।

3. चुनाव में बाहुबल का प्रभाव – कई बार कुछ प्रत्याशी हर तरीके से चुनाव जीतना चाहते है, वे चुनाव में अपराधियों की मदद भी लेते हैं। हिंसा और बल का प्रयोग कर लोगों को डरा-धमकाकर वोट देने से रोकने, मतदान केन्द्र पर कब्जा करने, जबरदस्ती अवैध तरीके से मत डलवाना आदि काम भी करवाते हैं।

चुनाव प्रणाली के दोष

- मतदान में पूर्ण भागीदारी का अभाव
- चुनाव में काले धन का प्रयोग
- चुनाव में बाहुबल का प्रभाव
- सरकारी साधनों का दुरूपयोग
- निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या
- मतदाताओं की भावना प्रभावित करना।
- फर्जी मतदान

4. **सरकारी साधनों का प्रयोग** – निर्वाचन का समय आने से पहले कुछ शासक दल जनता को लुभाने वाले वायदे करने लगते है, शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों की अपने हितों के अनुकूल पदस्थापना करते हैं तथा शासकीय धन और वाहनों व अन्य साधनों का प्रयोग करते हैं। निर्वाचन अधिकारियों को भी प्रभावित करने के प्रयास करते हैं। इससे चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित होती है।

5. **निर्दलीय उम्मीद्वारों की संख्या** – चुनावों में निर्दलीय उम्मीद्वारों की संख्या कभी–कभी बहुत अधिक होती है इससे चुनाव प्रबन्ध में कठिनाई आती है। मतदाता भी अधिक प्रत्याशियों के चुनाव मैदान में होने से भ्रमित होता है।

6. **मतदाताओं की भावना प्रभावित करना** – चुनावों के समय कुछ प्रत्याशी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर मतदाताओं की भावनाएँ प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दल जाति के आधार पर प्रत्याशी चयनित करते हैं। लोगों की भावनाओं को उभार कर चुनावों को प्रभावित करना भारतीय निर्वाचन का सबसे बड़ा दोष है।

7. **फर्जी मतदान** – कई बार कुछ व्यक्ति दूसरे के नाम पर वोट डालने चले जाते हैं, एक से अधिक स्थान पर मतदाता सूची में नाम लिखाना, नाम न होते हुये भी वोट देने जाना आदि फर्जी मतदान है। यह भी हमारी चुनाव प्रणाली की बड़ी समस्या है।

8. **अन्य दोष** – मत देने के लिये नागरिकों का मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। हम प्रायः यह देखते हैं कि अनेक लोगों के नाम इस सूची से छूट जाते हैं जबकि जिनकी मृत्यु हो गई है या वे अन्यत्र चले गए हैं उनके नाम भी मतदाता सूची में होते हैं। इस हेतु राजनीतिक दल जनता में जागरूकता पैदा नहीं करते। एक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या अधिक होने से भी कठिनाई आती है। एक प्रत्याशी कई बार दो या अधिक स्थानों से चुनाव में खड़ा हो जाता है। दोनों स्थानों से उसकी जीत होने की स्थिति में वह एक स्थान से त्यागपत्र देता है। पुनः उप चुनाव होते हैं– शासकीय और प्रत्याशियों के धन का अपव्यय होता है। ये सभी हमारी चुनाव प्रणाली के दोष हैं।

हमारे देश में चुनाव आयोग निरंतर यह प्रयास कर रहा है कि देश में निर्वाचन स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। निर्वाचन आयोग के प्रयास से चुनाव प्रणाली के दोष कम करने के लिये प्रयास किये जाते हैं। मतदाता पहचान पत्र की व्यवस्था निर्वाचन आयोग की ही देन है। निर्वाचन प्रणाली के दोषों को दूर करने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

13.6 निर्वाचन आयोग व उसके कार्य

निर्वाचन आयोग संविधान द्वारा गठित एक स्वतंत्र संस्था है। यह भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। देश की संसद, राज्य विधान मण्डल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों का कार्य निर्वाचन आयोग करता है। भारत के निर्वाचन आयोग का कार्यालय नई दिल्ली में है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो या अधिक अन्य सदस्य चुनाव आयुक्त कहलाते हैं। तीनों के अधिकार समान हैं और किसी प्रश्न पर मतभेद होने पर बहुमत से फैसला लिया जाता है। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही हटाया जा सकता है। इसका अर्थ है संसद

के दोनों सदन पृथक-पृथक रूप में अपने कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है। इसके उपरांत ही राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को अभी तक उसके पद से हटाया नहीं गया है। चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

निर्वाचन आयोग के कार्य

- निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना।
- निर्वाचन नामवली तैयार कराना।
- चुनाव चिन्ह प्रदान करना।
- राजनीतिक दलों का पंजीयन और मान्यता देना।
- चुनाव कराना।
- सांसद और विधायकों की अयोग्यता निर्धारण में राय देना।
- आदर्श आचार संहिता तैयार कर लागू करना।
- विविध कार्य।

निर्वाचन आयोग के कार्य

हमारे देश में निर्वाचन के प्रबन्ध की पूरी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचन आयोग की शक्तियों और कार्यों का स्त्रोत संविधान है। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :

1. **निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना** – किसी चुनाव से पहले चुनाव क्षेत्र का निर्धारण या परिसीमन किया जाता है। प्रथम साधारण निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य निर्वाचन आयोग ने किया था। अब चुनाव क्षेत्र निर्धारण का कार्य परिसीमन आयोग करता है। इस आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता हैं।

2. **निर्वाचक नामावली तैयार कराना** – चुनाव आयोग का यह दूसरा मुख्य कार्य है। प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व वह मतदान केन्द्र के अनुसार मत देने के योग्य नागरिकों की सूची तैयार करवाता है इसे निर्वाचन नामावली कहते हैं। नवीन सूची में 18 वर्ष के नागरिकों के नाम जोड़े जाते हैं और मृत्यु या अन्य कारण से अन्यत्र स्थानों पर चले गये नागरिकों के नाम हटाये जाते हैं। निर्वाचक नामावली को मतदाता सूची के नाम से भी जाना जाता है।

3. **चुनाव चिह्न प्रदान करना** – निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्न निर्धारित और संरक्षित कर दिये हैं। नये दलों या किसी दल के विभाजन के बाद बने दल को चुनाव चिह्नों का बँटवारा आयोग करता है। चुनाव चिह्न राजनीतिक दलों के लिये महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। निर्वाचन के समय प्रत्याशी अपने लिए अपने चिह्न के आधार पर वोट मांगते हैं।

4. **राजनीतिक दलों का पंजीयन और मान्यता** – राजनीतिक दलों का पंजीयन करना और गत लोक सभा या विधान सभा चुनावों में प्राप्त मतों के आधार पर राष्ट्रीय या राज्यीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करना आयोग का कार्य है। निर्वाचन आयोग कानून अनुसार चुनाव हो इस पर भी ध्यान रखता है।

5. **चुनाव कराना** – आयोग द्वारा निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित किया जाता है। वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिये सभी प्रबंध और प्रयास करता है। इस हेतु चुनाव के समय राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों को पालन करने वाले निर्देश जिसे आचार संहिता कहते हैं को जारी करता है। आयोग को निर्वाचनों का निरीक्षण और नियन्त्रण का अधिकार है। निर्वाचन आयोग हर सम्भव तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास करता है।

6. **सांसदों व विधायकों की अयोग्यता निर्धारण में राय देना** – प्रतिनिधियों की अयोग्यता के विषय में राष्ट्रपति को राय देना भी आयोग का कार्य है। वर्ष 2006 में लाभ के पद मामलों में राष्ट्रपति द्वारा आयोग से राय मांगी गयी थी और उनकी राय पर संसद के कुछ सदस्यों की सदस्यता समाप्त की गई थी।

7. **विविध कार्य** – निर्वाचन आयोग चुनाव में प्रत्याशी के व्यय की सीमा का निर्धारण, चुनाव सुधार के उपाय करना, मतदाताओं को प्रशिक्षण आदि कार्य भी करता है।

निर्वाचन क्षेत्र : एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता, जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं।

नियतकालीन : एक निश्चित समय पश्चात निर्वाचन का होना, जैसे प्रति पाँच वर्ष बाद।

आचार संहिता : चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश।

चुनाव घोषणा पत्र : एक प्रकार का दस्तावेज होता है, जिसके माध्यम से राजनीतिक पार्टियाँ अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। इसमें पार्टी जनता को एक साफ-सुथरी और सक्षम सरकार बनाने का वचन देती है।

अमिट स्याही : चुनाव में मतदाता दोबारा मत न दे पाये इस हेतु उसकी उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाती है। यह कई दिन में साफ होती है।

अभ्यास

वस्तुनिष्ठ प्रश्न -

सही विकल्प चुनकर लिखिए :

1. निम्न में से किसे वयस्क मताधिकार प्रदान किया जा सकता है-
   (i) अवयस्क पुरूष तथा महिलाओं को
   (ii) केवल पुरुषों को
   (iii) वयस्क पुरुष तथा महिलाओं को
   (iv) केवल महिलाओं को
2. किसे वोट देने का अधिकार नहीं है-
   (i) पागल या मानसिक विकलांगों को (ii) नाबालिगों को
   (iii) न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित (iv) उपरोक्त सभी
3. भारत में निम्नलिखित में से किसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू मानी जाती है-
   (i) प्रत्याशी के नामांकन पत्र जमा करने के बाद
   (ii) चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद
   (iii) प्रचार कार्य प्रारम्भ होने के बाद
   (iv) चुनाव सभा होने से

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. हमारे देश के सभी स्त्री पुरूष जिनकी उम्र..... वर्ष है, वोट डालने के अधिकारी हैं।
2. कई दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं, तब वह .....सरकार कहलाती है।
3. राजनीतिक दलों को मान्यता देने के लिए ..... आयोग बनाया गया है।

4. देश के प्रत्येक वयस्क महिला पुरूष को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार ..... मताधिकार कहलाता है।

प्रोजेक्ट कार्य-

अपने देश की राजनैतिक पार्टियों के नाम चार्ट में लिखें।

अति लघुउत्तरीय प्रश्न

1. राजनीतिक दल किसे कहते हैं, लिखिए।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करता है?
3. भारत के निर्वाचन आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है?
4. साझा सरकार किसे कहते हैं?

लघुउत्तरीय प्रश्न

1. राजनीतिक दलों की विशेषतायें बताइए।
2. मध्यावधि निर्वाचन किसे कहते हैं?
3. निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य लिखिए।
4. निर्वाचक नामावली क्या हैं? इसका उपयोग बताइए।
5. विपक्षी दल की भूमिका का वर्णन कीजिए।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. मताधिकार किसे कहते हैं? मताधिकार के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।
2. निर्वाचन से क्या आशय है? निर्वाचन आयोग के कार्यों को लिखिए।
3. राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर राजनीतिक दलों के प्रकार समझाइए।
4. दल व्यवस्था क्या है? उसका महत्व बतलाइए।
5. भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया व भारतीय चुनाव प्रणाली के प्रमुख दोषों का वर्णन कीजिए।
6. राजनीतिक दलों के कार्य और महत्व बतलाइए।